भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- +5491

उत्तर देने की तारीख- 03/04/2025

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को निधि का आबंटन

+5491. श्री राव राजेन्द्र सिंह:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को देश में नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) खोलने के लिए आवंटित धनराशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खोले गए नए ईएमआरएस की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार जयपुर ग्रामीण लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई ईएमआरएस खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास प्रशासन से संबंधित कार्यों के लिए एनईएसटीएस और ईएमआरएस में लगे कर्मचारियों और इसके लिए आवंटित धनराशि के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार ऐसे स्कूलों को चलाने वाली विभिन्न राज्य समितियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए कोई कानून लाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) वर्ष 2018-19 से जनजातीय बच्चों (कक्षा VI से XII तक) को उनके अपने वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की केंद्रीय क्षेत्र योजना को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय ईएमआरएस की योजना का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) को निधियां जारी करता है, और एनईएसटीएस ईएमआरएस के निर्माण और स्कूलों के संचालन की आवर्ती लागत के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / निर्माण एजेंसियों / राज्य सोसायटियों को निधियां जारी करता है। 2020-21 से पहले, यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत एक घटक थी और इसलिए ईएमआरएस की योजना के लिए कोई अलग से बजट आवंटन नहीं किया गया था।

2020-21 से आगे नई ईएमआरएस योजना के अंतर्गत बजट आवंटन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**व्यय (करोड़ में)**
2020-21	1199.95
2021-22	1057.74
2022-23	1999.98
2023-24	2447.61
2024-25	4,748.92

राज्यों को जारी की गई निधि का वर्ष-वार विवरण

लाख रुपये में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (21.03.2025 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	6,199.12	14,591.28	12,600.57	10,795.05	23,277.28
2	अरुणाचल प्रदेश (एनई)	200.24	119.54	1,010.87	693.91	2,003.38
3	असम (एनई)	750.00	1,800.00	1,433.65	2,732.67	8,304.02
4	बिहार	10.00	-	-	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	6,968.12	13,259.66	19,435.93	15,888.89	77,276.02
6	दादरा एवं नगर हवेली	95.70	252.55	568.22	163.45	317.34
7	गुजरात	4,755.86	1,060.00	10,088.95	15,667.55	26,946.17
8	हिमाचल प्रदेश	255.06	599.11	483.18	829.76	1,359.59
9	जम्मू एवं कश्मीर	-	392.40	1,200.00	891.40	778.27
10	झारखंड	2,205.73	11,309.20	23,562.27	23,915.13	58,994.70
11	कर्नाटक	2,495.83	3,672.86	1,768.84	2,677.67	7,710.55
12	केरल	-	229.56	1,515.66	249.00	1,137.74
13	लद्दाख	-	10.00	450.00	800.00	17.41
14	मध्य प्रदेश	14,459.36	3,560.00	31,817.79	13,157.19	34,495.09
15	महाराष्ट्र	2,787.16	4,393.74	12,919.16	8,525.91	29,100.98
16	मणिपुर (एनई)	1,268.00	398.08	2,369.98	3,044.92	2,351.85

17	मेघालय (एनई)	1,123.45	1,100.00	800.00	21,014.66	31,458.72
18	मिजोरम (एनई)	3,283.73	6,085.41	2,094.54	1,242.52	14,570.41
19	नागालैंड (एनई)	5,885.51	9,481.60	557.71	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	6,174.27	10,648.82	28,164.31	48,934.80	61,275.75
21	राजस्थान	12,944.17	18,214.71	19,463.30	13,687.79	13,632.61
22	सिक्किम (एनई)	800.33	1,037.88	1,047.35	1,118.83	1,034.32
23	तमिलनाडु	1,225.14	1,190.62	1,098.78	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	9,517.30	19,695.52	12,794.53	14,276.17	16,187.05
25	त्रिपुरा (एनई)	6,064.89	5,715.44	6,435.19	6,670.35	8,965.95
26	उत्तर प्रदेश	386.68	337.49	596.23	624.14	1,327.63
27	उत्तराखंड	321.28	598.39	474.95	1,537.53	2,945.43
28	पश्चिम बंगाल	2,062.45	-	2,303.67	1,869.70	1,789.50
	कुल	**92,239.38**	**1,29,753.86**	**1,97,055.63**	**2,30,494.86**	**4,29,729.07**

ईएमआरएस के संचालन और रखरखाव के लिए, एनईएसटीएस जीआईए-सामान्य शीर्ष के तहत प्रति वर्ष प्रति छात्र 1,09,000/- रुपये जारी करता है। जीआईए-सीसीए के तहत आगे की निधि स्कूलों के निर्माण की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के आधार पर आवश्यकतानुसार जारी की जाती है।

(ख): राजस्थान में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक, 11 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को अनुमोदन दिया है तथा पुराने विद्यालयों सहित 13 ईएमआरएस को कार्यात्मक बनाया गया है।

(ग और घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जयपुर ग्रामीण लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर जिले के जामवा रामगढ़ ब्लॉक में एकलव्य ऑदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) को अनुमोदन दिया है। राज्य सरकार ने इस विद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव दिया है।

(ङ): 28 मार्च 2025 तक के अनुसार, एनईएसटीएस और ईएमआरएस में नियुक्त प्रशासनिक कर्मियों सहित नियमित कर्मचारी निम्नानुसार हैं:

विवरण	**नियमित कर्मचारियों की संख्या**
एनईएसटीएस में नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति	19
एनईएसटीएस द्वारा नियुक्त ईएमआरएस में नियमित कर्मचारी	7,564
कुल	**7,583**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एनईएसटीएस और ईएमआरएस में नियुक्त प्रशासनिक कर्मियों सहित नियमित कर्मचारियों को संवितरित वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	**राशि रुपये में (करोड़ में)**
एनईएसटीएस में नियुक्त कर्मचारियों को वेतन संवितरण	3.80
एनईएसटीएस द्वारा नियुक्त ईएमआरएस कर्मचारियों को वेतन संवितरण	611.28
कुल	**615.08***

*इसमें मार्च 2025 का वेतन प्रावधान भी शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनईएसटीएस ईएमआरएस के संचालन और रखरखाव के लिए जीआईए-सामान्य के अंतर्गत आवर्ती अनुदान के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र 1,09,000 रुपये जारी करता है।

(च): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षा आदिवासी छात्र समिति (एनईएसटीएस) के माध्यम से केंद्र सरकार, देश भर में जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, एनईएसटीएस देश भर में ईएमआरएस स्कूलों की स्थापना, अनुदान (धन प्रदान करना), रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।

******